न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम दीपाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	[illegible] क्रमांक - 11/2023	
08.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 31.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
31.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
119 / 2023	2023 / 1090	16.08.2023	31.10.2025 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

रामजीलाल सैनी पुत्र नानूराम, जाति माली, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

––वादी––

बनाम्

1 दीपाराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी ढ़ाणी पाट्यावाली नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) नीमकाथाना

2. धन्नालाल पुत्र लक्ष्मण राम जाति खटीक निवासी श्रीमाधोपुर

3. हरनाथ पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी हाल मतरडी की ढ़ाणी नांगल भीम श्रीमाधोपुर.

4. अर्जूनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति खटीक निवासी श्रीमाधोपुर.

5. ऑची देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति माली निवासी नॉगल भीम श्रीमाधोपुर

6 गिरधारी लाल पुत्र दीपाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी पाट्यावाली नांगल भीम श्रीमाधोपुर

7 पतासी देवी पत्नी मंगलचन्द जाति माली निवासी ढ़ाणी पाट्यावाली नांगल भीम श्रीमाधोपुर

8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण––

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–

श्री रामावतार सैनी प्रथम , एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 7 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

वादपत्र बाबत विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 512/0.85, 515/0.97, 516/1.40 तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित होकर इस भूमि के 17/56 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम, 103/336 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 दीपाराम, 1/16 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 धन्नालाल, 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 3 हरनाथ व 17/84 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 अर्जूनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 517/1.24 हैक्टर के 17/42 हिस्सा के वादी रामजीलाल, 19/168 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 धन्नालाल, 5/14 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 1 दीपाराम तथा 1/8 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 3 हरनाथ की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। इसी प्रकार तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 518/2.86 हैक्टर के 87/286 हिस्सा के वादी रामजीलाल, 45/[illegible] हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 दीपाराम, 16/143 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 2 धन्नालाल तथा 18/143 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 3 हरनाथ, 25/286 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 5 आंची देवी, 18/143 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 6 गिरधारी लाल, 25/286 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

पतासी देवी के नाम संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। उक्त भूमि का पक्षकारान् मुकदमा के बीच विवादित भूमि का कभी भी मौके पर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन नहीं होकर पक्षकारान् ने विवादित भूमि को मौके पर बाहमी रूप से ही विभाजित करके काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमियों बाबत पक्षकारान् के मध्य हुए बाहमी बंटवारे के आधार पर वादी के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 518 के 2.35 हैक्टर अकेले वादी के कब्जे व अधिकार में है। जिसमें वादी ने अपनी स्वंय के खर्चे से ही चार दिवारी व तारबन्दी कर रखी है तथा स्वंय के खर्चे से अकेले ने ट्यूबवैल लगाकर विधुत सम्बन्ध ले रखा है। अपनी भूमि को मौके पर सिचिंत कर रखा है तथा पुख्ता रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित मौके पर काबिज व आबाद है। वादी ने इस अपने मकान के पास ही पशुओं का नोहरा बना रखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 518 के 2.35 हैक्टर पर वादी के अलावा अन्य किसी सह खातेदार का कोई कब्जा नहीं है एंव ना ही कोई सम्बन्ध रहा है। उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज वादी के हिस्से की भूमि में सम्पूर्ण भूमियों का वादी का 2.35 हैक्टर तथा भूमि के रकबा की किस्म के आधार पर उतार चढ़ाव व उपजाउ के हिसाब से बाहमी बंटवारे में वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 518 रकबा 2.35 हैक्टर भूमियों का विधिक विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 518 में से रकबा 2.35 हैक्टर भूमि से अन्य खातेदार का नाम हटाकर अकेले वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दिये जाने तथा शेष खसरा नम्बर की भूमियों से वादी का हटाया जाकर अन्य प्रतिवादीगण के कब्जे के अनुसार उनके नाम अलग–अलग खातेदार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पक्षकारान् के मध्य भूमियों की मौके पर विभाजन के अनुसार अलग–अलग खातेदारी अंकित नहीं होने से खातेदार अपनी भूमियों का समुचित रूप से विकास नहीं कर पा रहे है तथा वर्तमान में बदलते हुए परिदृश्य अनुसार पक्षकारान् में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पक्षकारान् के मध्य विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर उनके कब्जे व [illegible] अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी [illegible] उक्त [illegible] का कानूनी बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो आजकल में करवाने हेतु कहते रहे तथा दिनांक 30.07.2023 को भूमियों का विधिक विभाजन करवाने से इंकार कर दिये जाने पर वाद कारण पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

होकर दावा करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–उक्त मद संख्या 1 ता 3 में वर्णित कृषि भूमियों का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के मध्य विधिक विभाजन किया जाकर पक्षकारान् के हिस्सों के अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने एंव बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 518 के रकबा 2.35 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर से अन्य खातेदार का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि वादी के कब्जे में होने से अकेले वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने तथा शेष खसरा नम्बर की भूमियों से वादी का नाम हटाया जाकर उनका अन्य खातेदारों के कब्जे काश्त अनुसार अन्य खातेदार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद बाबत विभाजन बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 8 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एंव प्रतिवादी संख्या 2 की तामील जरिये दैनिक समाचार पत्र " राष्ट्रदूत " में दिनांक 8 फरवरी 2024 को प्रकाशित हो जाने के बावजूद आज तक हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 7 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये एंव पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कराने हेतु सहमति प्रदान की है। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण को बहस में रखा जाकर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनना प्रारम्भ किया गया।

जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अव[illegible] कि प्रकरण में वकील वादी व पक्षकारान् प्रतिवादीगण के [illegible] भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी एंव प्रतिवादी [illegible]म्बर 1 ता 7 के मध्य विधिक विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करवाया जाकर खातों की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बटटा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सीमें कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत अपनी सहमति दौराने बहस व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। उभय पक्षकारान अधिवक्तागणों ने प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् के सहमत होने पर वादपत्र में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 18.02.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 860/रीडर/2025 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2050/भू.अ./2025 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण [illegible] व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व

रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदीयाँ तीन सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील उभय पक्ष ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 04.07.2025 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार [illegible] प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

क्र. स.	काश्तकारो के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. दीपाराम पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 5/14 जाति माली, सा. देह पृथ्वीपुरा खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर 2. धन्नालाल पुत्र लछमणराम हिस्सा 19/168 जाति खटीक, सा. श्रीमाधोपुर खातेदार 3. रामजीलाल पुत्र नानूराम हिस्सा 17/42 जाति माली सा. पृथ्वीपुरा खातेदार 4. हरनाथ पुत्र भोलूराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. ढ़ाणी मतरड़ी खातेदार राहिन एक्सिस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर	517	1.2400	बारानी 2	4.90
	योग खाता	किता – 1	1.2400	—	4.90
2.	1. अर्जूनलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 17/84 जाति खटीक सा. श्रीमाधोपुर खातेदार 2. दीपाराम पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 103/336 जाति माली, सा. देह पृथ्वीपुरा खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर	512 515 51[illegible]	0.8500 0.9700 1.4000	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	3.36 3.83 5.53

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

	3. धन्नालाल पुत्र लछमणराम हिस्सा 1/16 जाति खटीक, सा. श्रीमाधोपुर खातेदार 4. रामजीलाल पुत्र नानूराम हिस्सा 17/56 जाति माली सा. पृथ्वीपुरा खातेदार 5. हरनाथ पुत्र भोलूराम जाति जाट हिस्सा 1/8 सा. ढ़ाणी मतरड़ी खातेदार राहिन एक्सिस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर				
	योग खाता	किता– 3	3.22	बारानी 2	12.7200
3.	1. आंची देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 25/286 जाति माली सा. देह खातेदार 2. गिरधारी लाल पुत्र दीपाराम हिस्सा 18/143 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर 3. दीपाराम पुत्र नारायण हिस्सा 45/286 जाति माली, सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर 4. धन्नालाल पुत्र लछमणराम हिस्सा 16/143 जाति खटीक, सा. श्रीमाधोपुर खातेदार 5. पतासी देवी पत्नि मंगलचन्द				

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

	हिस्सा 25 / 286 जाति माली सा. देह खातेदार 6. रामजीलाल पुत्र नानूराम हिस्सा 87 / 246 जाति माली सा. पृथ्वीपुरा खातेदार 7. हरनाथ पुत्र भोलूराम जाति जाट हिस्सा 18 / 143 सा. ढ़ाणी मतरड़ी खातेदार राहिन एक्सिस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर				
	योग खाता	किता 1	2.8600	बारानी 2	11.30

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	हरनाथ पुत्र भोलूराम जाति जाट सा0 ढ़ाणी मतरड़ी खातदेार राहिन एक्सिस बैंक श्रीमाधोपुर	516 / 3	0.9175	बारानी 2	
	योग खाता	किता – 1	0.9175	बारानी–2	
2	रामजीलाल पुत्र नानूराम जाति माली सा. पृथ्वीपुरा खातेदार	518 / 1	2.33	बारानी–2	
	योग खाता	किता– [illegible]	[illegible]3300	बारानी–2	
3	ऑची देवी पत्नी प्रभूदयाल हिस्सा 1 / 2, पतासी देवी	512 / 1	0.4950	बारानी 2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

	पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार				
	योग खाता	किता – 1	0.4950	बारानी–2	
	गिरधारी पुत्र दीपाराम जाति माली सा. देह खातेदार रहन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर	518/3	0.3550	बारानी 2	
	योग खाता	किता– 1	0.3550	बारानी–2	
5	1. धन्नालाल पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 66/131, 2. अर्जूनलाल पुत्र धन्नालाल हि0 65/131 जाति खटीक सा. देह श्रीमाधोपुर	516/1 517/1	0.0730 1.2150	बारानी 2 बारानी 2	
	योग खाता	किता–-2	1.2880	बारानी 2	
6	दीपाराम पुत्र नारायण जाति माली सा0 देह रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर	518/2 512/2 515 516/2	1.1250 0.3550 0.9700 0.4095	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	
	योग खाता	किता– 4	1.8595	बारानी 2	
7	1. रामजीलाल पुत्र नानूराम जाति माली सा. पृथ्वीपुरा हिस्सा 10/65, 2. ऑची देवी पत्नी प्रभूदयाल हिस्सा 25/650, जाति माली	518/4 517/2	[illegible] 0.0250	बारानी 2 बारानी 2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested

	बतासी देवी पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 25/650 जाति माली सा. देह खातेदार, 4. गिरधारी पुत्र दीपाराम जाति माली हिस्सा 5/65 सा. देह खातेदार 5. दीपाराम पुत्र नारायण जाति माली सा0 देह हिस्सा 30/65 6. धन्नालाल पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 3/26, 7. अर्जूनलाल पुत्र धन्नालाल हि0 3/26 जाति खटीक सा. देह श्रीमाधोपुर				
	योग खाता	किता– 2	0.0650	बारानी–2	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 2050/भू.अ./25 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:35 IST
Reason: SelfAttested